## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 06/2019

शंकर लाल पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति जाट निवासी ग्राम कालूसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री लेखराज देरासरी
2. पैरोकार राज.

**निर्णय** दिनांकः 28.08.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 03.04.2012 प्र.स. 18/2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट के नाम से रोही मौज कालूसर के खसरा नं. 98/08 में 7.540 है0 व खसरा नं. 100/01 में 3.289 है0 कुल =10.289 है0 बारानी भूमि संवत 2038 से आवंटनशुदा है जो कि आवंटन की दिनांक से आज तक अपीलांट के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि का समय–समय पर नवीनीकरण अपीलांट के नाम से हुआ है रकबा पर कायम रकम अपीलांट द्वारा समय–समय पर राजकीय खजाने मे जमा करवाई गई। उक्त आवंटित भूमि की खातेदारी लेने हेतु अपीलांट द्वारा न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ में प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2012 द्वारा अपीलांट को खसरा नं. 100/1 की 3.289 है0 बारानी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए परन्तु खसरा नं. 98/08 में 7.540 है0 भूमि पर कब्जा नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अपने विधिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अतः जैर अपील आदेश पूर्णतया एकतरफा होने से काबिल निरस्ती है।
2. उक्तानुसार अपील 06/19 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लेखराज देरासरी पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि उक्त दोनों खसराजात की भूमि आवंटन की दिनांक से आज तक लगातार अपीलांट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा कब्जा काश्त के संबंध में कोई जांच नहीं की गई एवं अपीलांट को बिना सुने निर्णय दिनांक 03.04.2012 पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।
4. जवाब बहस में पैरोकार राज ने कथन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खसरा नं. 100/1 की 3.289 है0 बारानी भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने से अपीलांट को उक्त खसरे का खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए एवं खसरा नं. 98/08 में 7.540 है0 भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए। रिपोर्ट पटवारी सही है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन एवं चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार दिनांक 03.04.2012 रिपोर्ट हल्का पटवारी के आधार पर किया गया है। मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी खसरा नं. 98/08 रकबा 7.540 हैक्टेयर की भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये हैं तथा खसरा नं. 100/01 रकबा 3.289 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त निरंतर होने की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

28/8/19

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner